न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—154/2024/225 आर.टी.एक्ट (2024/154)

1. विजयपाल सिंह पुत्र स्व0 भींयाराम जाति जाट निवासी ग्राम रूपाहेली तहसील पीसांगन, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. झणकारी देवी पत्नी स्व0 करण सिंह
2. मीनाक्षी पुत्री स्व0 करण सिंह
3. राजेन्द्र पुत्र स्व0 करण सिंह
4. श्रीमती मधु पत्नी स्व0 अजयपाल
5. अमन पुत्र स्व0 अजयपाल
6. अनुज पुत्र स्व0 अजयपाल

समस्त जाति जाट, निवासीगण ग्राम रूपाहेली तहसील पीसांगन जिला अजमेर। हाल निवासी चतुर्भज भवन, जीपीओ के सामने पृथ्वीराज मार्ग, अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 26.06.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन राजस्व वाद संख्या 38/2023

उपस्थितः—

1. श्री शंकरलाल जाट अभिभाषक अपीलांट
2. श्री प्रदीप विश्नोई अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1, 3, 4
3. श्री गिरीश पारीक अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 4
4. रेस्पोडेंट संख्या 2, 5, 6 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—06.10.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 38/2023 में पारित आदेश दिनांक 26.06.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपीलांट ने वर्तमान रेस्पोडेंट्स के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसांगन के समक्ष एक वाद संख्या 65/2022 उनवानी विजयपाल बनाम श्रीमती झणकारी देवी व अन्य अंतर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया तथा उक्त वाद में वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 5 ने काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद में वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 5 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 5 की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 26.06.2024

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

पारित कर रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 5 द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी/अपीलांट्स को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमा दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 38/2023 में पारित आदेश दिनांक 26.06.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 2, 5, 6 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी पीसागन द्वारा आदेश दिनांक 26.06.2024 को वर्तमान अपीलाण्ट को बिना साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये, नॉन स्पीकिंग तथा अस्पष्ट विवादित आदेश पारित किया है, जो इस अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी पींसागन द्वारा आदेश दिनांक 26.06.2024 को आदेश पारित करते समय इस विधिक बिन्दु को नजरअंदाज किया कि आराजी वर्तमान ख0नं0 2951/1935 व 2952/1935 अपीलांट के पिता भीयांराम की स्वअर्जित आराजी है और जमावन्दी संवत 2024–2027 में भीयांराम पुत्र मोती एकल खातेदार के रूप में दर्ज है। भीयांराम पुत्र मोती के बाद उक्त आराजी. अपीलांट विजयपाल के नाम बतौर खातेदार दर्ज चली आ रही है तथा जमाबन्दी संवत 2069–2072 में भी अपीलांट बतौर एकल खातेदार दर्ज है, अन्य कोई सहखातेदार नहीं है। इसलिये अपीलांट ने अपने बंटवारे के उक्त वाद में उक्त आराजी अंकित नही थी, और अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत बंटवारे के वाद में उक्त आराजी बाबत कोई रिलीफ नहीं भी चाही थी। परन्तु रेस्पोडेण्टस ने अपन्ने अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में उक्त आराजी को भी अंकित कर उसके बाबत भी अपीलांट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा दिया। जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसार जो आराजी वाद पत्र में अंकित नहीं है उस आराजी बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों की अवहेलना करते हुये विवादित आदेश दिनांक 26.06.2024 पारित कर भारी विधिक त्रुटि कारित की है। उपखण्ड अधिकारी पीसांगन द्वारा आदेश दिनांक 26.06.2024. को आदेश पारित करते समय इस विधिक बिन्दु को नजरअंदाज किया कि पेशी दिनांक 26.06.2024 को पत्रावली वास्ते सुनवाई तामीली रिपोर्ट बाबत नियत थी। उस दिन विपक्षीगण को जारी नोटिस पर रिपोर्ट के आधार पर तामील का बिन्दू तय किया जाना था और यदि न्यायालय को यह लगता था कि विपक्षी को जारी नोटिस बाद तामील आये है, तो विपक्षी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली साक्ष्य नियत की जानी चाहिये थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पेशी दिनांक 26.06.2024 को ही रेस्पोडेंट की एकतरफा बहस सुनकर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र ही स्वीकार फरमा कर फैसल शुमार कर दिया। इसप्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रकिया व प्रावधानों की अवहेलना करते हुये विवादित आदेश दिनांक 26.06.2024 पारित कर भारी विधिक त्रुटि कारित की है। उपखण्ड अधिकारी पींसागन द्वारा आदेश दिनांक 26.06.2024 को आदेश पारित करते समय इस विधिक बिन्दु को नजरअंदाज किया कि अपीलांट वाद में अंकित आराजी का

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है, और माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल राज० अजमेर द्वारा समय समय पर विभिन्न विधिक दृष्टान्त पारित कर यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि एक रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार को किसी भी निषेधाज्ञा से पावन्द नहीं किया जा सकता है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया व प्रावधानों की अवहेलना करते हुये विवादित आदेश दिनांक 26.06.2024 पारित कर भारी विधिक त्रुटि कारित की है। उपखण्ड अधिकारी पीसागन द्वारा आदेश दिनांक 26.06.2024 को आदेश पारित करते समय इस विधिक बिन्दु को नजरअंदाज किया कि उन्होंने धारा 212 के तीनों बिन्दुओं प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू पर बिना कोई विवेचन किये उनको प्रार्थीगण/रेस्पो० के पक्ष में साबित होना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी/अपीलांट को नॉनस्पीकिंग आदेश के द्वारा ताफैसला वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द कर विधिक त्रुटि कारित की है। उपखण्ड अधिकारी पीसागन द्वारा आदेश दिनांक 26.06.2024 की आड में रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 5 अपीलांट की खातेदारी आराजी के कब्जे काश्त में दखलंअन्दाजी करने, एवं अपीलांट को उसकी खातेदारी आराजी से बेदखल करने पर सख्त आमादा है और अपीलांट उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 26.06.2024 के कारण समय समय पर सरकार द्वारा दिये जाने वाले लाभ व योजनाओं का भी लाभ नहीं ले पा रहा है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.06.2024 निरस्त किये जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 38/2023 में पारित आदेश दिनांक 26.06.2024 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि वादी/अप्रार्थी विजयपाल सिंह के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद संख्या 65/2022 विजयपाल सिंह बनाम श्रीमती झणकारी देवी व अन्य प्रस्तुत किया गया जो विचाराधीन है। आवेदनकर्तागण के द्वारा भी न्यायालय के समक्ष काउन्टर क्लेम अंतर्गत आदेश 08 नियम 06 ए जा0दी0 के अंतर्गत भी प्रस्तुत किया कि इस काउन्टर क्लेम में आवेदनकर्तागण की पूर्ण विधिक सफलता निहित है। ग्राम जसवंतपुरा तहसील पीसांगन स्थित भूमियां है जिसमें 2/3 हिस्सा के सहहिस्सेदार खातेदार आवेदनकर्तागण है एवं काबिज है तथा 1/3 हिस्सा के सहहिस्सेदार अप्रार्थी संख्या 01 है। आवेदन पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमियां कि जिसमें आवेदनकर्तागण का 2/3 हिस्सा तथा अप्रार्थी सख्या 01 का 1/3 हिस्सा के संयुक्त सहहिस्सेदार खातेदार है परन्तु वर्तमान जमाबन्दी समवत 2069 से 2072 कि जिसमें अप्रार्थी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा के स्थान पर 1/2 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया गया की जिसकी दुरूस्ती हेतु आवेदनकर्तागण के द्वारा न्यायलय के समक्ष राजस्व वाद संख्या 65/2022 में काउन्टर क्लेम बाबत 2/3 हिस्सा के खातेदार एवं इन्द्राज दुरूस्ती तथा स्थायी निशेधाज्ञा आज्ञप्ति के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया जो विचाराधीन है। वर्णित भूमियां कि जिसमें अप्रार्थी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा एवं आवेदनकर्तागण तथा प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 02 का 2/3 हिस्सा है, इस सन्दर्भ में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष राजस्व वाद संख्या 38/1986 श्री किशनलाल

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

लामरोर बनाम श्री विजयपाल, करणसिंह व अन्य के वाद पत्र में निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 31–10–1988 के अनुसार 1/3 हिस्सा श्री किशनलाल लामरोर एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सख्या 01 विजयपाल जो कि उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 01 है तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 02 श्री करणसिंह, श्री किशनलाल जी लामरोर एवं श्री करणसिंह का स्वर्गवास हो चुका है, कि जिनके वारिस आवेदनकर्तागण एवं प्रफोर्म अप्रार्थी संख्या 02 ही है, इस प्रकार श्री किशनलाल जी लामरोर का 1/3 हिस्सा एवं श्री करण सिंह का 1/3 हिस्सा यानि कुल 2/3 हिस्सा जो कि काउन्टरक्लेम की तालिका में वर्णित भूमियां में आवेदनकर्तागण एवं प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 02 का है, परन्तु वर्तमान जमाबन्दी में अप्रार्थी सख्या 01 का 1/2 हिस्सा गलत दर्ज किया गया, जबकि अप्रार्थी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा ही है। ऐसी अवस्था में आवेदन पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमियां के आवेदनकर्तागण एवं प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 02 को 2/3 हिस्सा की भूमि के उपयोग व उपभोग में किसी भी प्रकार से दखल व्यवधान नहीं करें, तथा आवेदन पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमियां को बिना विधिक बंटवाडे की आज्ञप्ति से पूर्व किसी भी विशिष्ट भाग की भूमि को किसी भी अन्य को रहन दान, बेचान हस्तान्तरण नहीं करें एवं किसी भी प्रकार का परिवर्तन, निर्माण आदि नहीं करें व ना करावें, इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा मूल पावन्द किया जावे अन्यथा आवेदनकर्तागण को भारी आर्थिक क्षति होने की सम्भावना है कि जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना भी सम्भव नहीं होगा, अप्रार्थी संख्या 01 के बजाय तुलनात्मक भारी असुविधा आवेदनकर्तागण को होगी कि इन सबकी रोक हेतु अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित की जाकर पावन्द किए जाने हेतु यह आवेदन पत्र प्रस्तुत है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है, इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट/प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अपीलांट/अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को दिनांक 26.06.2024 को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2069–2072 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 2951/1935, 2952/1935 कुल किता 3.0400 का अपीलांट रिकार्डेड खातेदार/काश्तकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक रिकार्डेड खातेदार/काश्तकार को बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों के विरूद्ध जाकर नॉन स्पीकिंग आदेश पारित किया गया है। पत्रावली वास्ते सुनवाई तामीली रिपोर्ट बाबत दिनांक 26.06.2024 को नियत थी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट/अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामील प्रस्तुत हुए थे तो अधीनस्थ न्यायालय को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

लाई जाकर पत्रावली साक्ष्य नियत की जानी चाहिए थी, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने पेशी दिनांक 26.06.2024 को ही रेस्पोडेंट की एकतरफा बहस सुनकर प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण में निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अस्थाई निषेधाज्ञा का जवाब प्राप्त हुए ही प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा एकपक्षीय रूप से बिना अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर दिए ही पारित कर प्रकरण का निस्तारण किया गया। जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि एक रिकार्डेड खातेदार को बिना सुने प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस विधिक बिंदु को ध्यान में नहीं रखते हुए प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2069–2072 के वर्तमान खसरा नम्बर 2951/1935 व 2952/1935 अपीलांट के पिता भीयाराम की आराजी है और जमाबंदी में उक्त आराजी अपीलांट विजयपाल के नाम बतौर खातेदारी में दर्ज है। अपीलांट ने अपने बंटवारे के वाद में उक्त आराजी अंकित नहीं की थी, अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत बंटवारे के वाद में उक्त आराजी बाबत कोई रिलीफ भी नहीं चाही गई थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में उक्त आराजी को अंकित कर अपीलांट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया। जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई विधिक त्रुटि को दर्शाता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा काउन्टर क्लेम के साथ काउन्टर टीआई भी पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष काउन्टर क्लेम का निस्तारण प्रकरण में बाद साक्ष्य वाद के मूल निस्तारण पश्चात तय होगा परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना टीआई का जवाब दिए व बिना सुने प्रकरण में टीआई कन्फर्म कर दी तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वर्णित तीनों बिंदुओ यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के तीनों बिंदुओं पर बिना कोई विवेचन किए नॉन स्पीकिंग आदेश पारित कर अपीलांट को ताफैसला मूल वाद जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बिना विवेचन व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों मूलभूत बिंदुओं का विशलेषण किए पारित किया गया है, जो कि विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में विधिक त्रुटि कारित हुई है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 38/2023 में पारित आदेश दिनांक 26.06.2024 को निरस्त किया जाता है व पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि प्रकरण से संबंधित उभयपक्षकारान को समुचित साक्ष्य व सुनवाई का विधिसम्मत अवसर प्रदान कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में, आवश्यक बिंदुओं यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिंदुओं का विस्तृत विवेचन कर प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.10.2025 को उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

06/10/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner